न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर.एन./11–5/आर/518/96 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.12.1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 6/अ–27/95–96

रामकंकन बल्द रामसेवक यादव
निवासी–मोहनपुरा तह. पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र) ....आवेदक

विरुद्ध

1. गोरेलाल बल्द भड्डू गड़रिया
2. शिवचरन बल्द भड्डू गड़रिया
   निवासी–सुजानपुरा तह. पृथ्वीपुर
   जिला टीकमगढ़ (म.प्र)
3. सियाराम पुत्र विसरान
4. सोनीराम
5. गिरन
6. लखनलाल
   निवासीगण भेलसा तह. पृथ्वीपुर
   जिला टीकमगढ़ (म.प्र)
7. भैयालाल बल्द भड्डू गड़रिया
   निवासी–सासोती तह. दतिया
   जिला दतिया (म.प्र) ....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 6/अ–27/95–96 में पारित आदेश दिनांक 22.12.1995 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि आवेदक एवं अनावेदक क. 1 व 2 के मध्य तहसील न्यायालय में विभाजन की कार्यवाही प्रारंभ हुई एवं विभाजन आदेश के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील हुई। इस अपील में आवेदक ने आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के आधार पर पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के आवेदन पर सुनवाई हेतु आदेश पारित करते हुए पेशी दिनांक 08.07.92 नियत की, किंतु इससे पूर्व ही आवेदक को सूचना तथा सुनवाई का अधिकार दिए बिना ही दिनांक 02.07.92 को प्रकरण समाप्त कर दिया। तदुपरांत आवेदक की ओर से उक्त आदेश अपास्त कर सुनवाई हेतु नियत किए जाने का आवेदन दिये जाने पर आदेश दिनांक 20.08.92 द्वारा आवेदक का आवेदन मान्य कर आवेदक को पक्षकार बनाया गया। इस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी किये जाने पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30.10.95 द्वारा निगरानी निरस्त की। इस आदेश विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त आदेश दिनांक 22.12.95 द्वारा कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को संहिता की धारा 51 के परंतुक के विपरीत मानते हुए प्रकरण समाप्त किया। इस के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.92 को अपीलार्थी सियाराम आदि जो इस न्यायालय में अनावेदक हैं, के अपील नहीं चलाने के

निवेदन पर प्रकरण समाप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत आवेदन पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पुनः सुनवाई में लिए जाने के पूर्व संहिता की धारा 51 (1) के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक था, जो उनके द्वारा नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तथा उसकी पुष्टि करने संबंधी कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उनका आदेश औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर